झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

, वेषय :— संशोधित झारखण्ड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) विनियमावली, 2017 की स्वीकृति के संबंध में।

संकल्प सं SUDA/AMRUT/37/2017-4122 (अनु), दिनांक 04.07.2017 द्वारा झारखण्ड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमावली, 2017 (Jharkhand Municipal Trade License Regulation, 2017) का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व लाईसेंस प्राप्त करने हेतु विनियमावली बनायी गयी है।

2. इस विनियमावली के कंडिका 21.1 में प्रदत्त प्रावधानों के आलोक में Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) के Ease of Doing Business के मापदण्डों को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करते हुए Revised Jharkhand Municipal Trade License Regulation, 2017 बनाई गई है:—

Sl. No.	Existing Clause	Revised Clause
1 1	Clause No. 5 Documents required for issuing Municipal Trade License are as follows:- Identity proof as a mandatory document which needs to be attached to the application. In case of trader applicant is the owner of premises, land possession certificate, allotment order, Revenue rent, Sale deed, updated holding tax receipt are mandatory documents. The deed of land lease agreement, rent agreement, electricity bill (in the name of trader applicant), affidavit (attested by notary public) are mandatory documents for those applicant, who has no land/building in his/her name. If business requires license / NOCs / Clearance from any other authorities, the same has to be attached with the application form along with an affidavit that availing all applicable license / NOCs / Clearance from Appropriate Authority shall be applicant's sole responsibilities. Incorporation certificate and Annual Audited Balance sheet and profit & loss A/c are required along with application for Private Ltd and Ltd Company / firm except for propriety	Documents required for issuing Municipal Trade License are as follows:- i. In case trader applicant is the owner of business premises: Enclose Land Possession Certificate/Allotment Order/ Revenue Rent/ Sale Deed/ Correction slip/Updated Holding Tax. or If applicant has no Land/ Building of his/her own. Enclose Deed of Land Lease Agreement/Rent Agreement/ Electricity Bill (In the Name Trade Applicant) ii. If partnership Firm Enclose Deed or Agreement or If Business is Pvt. Ltd. Or Ltd. Company Enclose Registration Certificate incorporating under the companies Act 1956 or If applicant is individual Identity Proof of Trade applicant
2	firm whose annual turnover is up to Rs. 12 lacs. Appendix-2 (Form-B) के कंडिका—5 Renewal of license is necessary in the first week of April every year.	Validity of the license will be one year from the date of issuance and it will be renewed every year.

3. Regulation के कंडिका 21.1 के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची समय—समय पर आवश्यकतानुसार इस विनियमावली में आवश्यक संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

1

- 4. Jharkhand Municipal Trade License Regulation, 2017 में आवश्यक संशोधन करते हुए विभागीय संकल्प संख्या दिनांक द्वारा Revised Jharkhand Municipal Trade License Regulation, 2017 अधिसूचित की गई है।
- 5. प्रस्ताव एवं संकल्प प्रारूप पर विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल,के आदेश से,

(अफ्रण कुमार सिंह) सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापाक— SUDA/AMRUT/37/2017......517/

(

राँची, दिनांक-. 11(08)12.

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— SUDA/AMRUT/37/2017......5/7/

राँची, दिनांक— 11/08/12

प्रतिलिपि— माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, जुडको लि०/अपर सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी आयुक्त, उपायुक्त, झारखण्ड/सभी शहरी स्थानीय निकायों के नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, विशेष पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।